झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001702)

अभियंत्रण भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची – 834 004

E-mail : cesd.jseb@gmail.com

अत्यावश्यक सार्वजनिक सूचना

झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, राज्य के सभी आयोजकों/ समितियों, श्रद्धालुओं और नागरिकों से अनुरोध है कि पर्व एवं त्योहारों के दौरान निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का सख्ती से पालन करें।

WP (PIL) No. 1715/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में विभिन्न त्योहारों के दौरान स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत है:–

उद्देश्य:–त्योहारों/शोभायात्रा के दौरान निर्बाध रूप से सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

1. विभिन्न त्योहारों/ शोभायात्रा के दौरान सामान्यतः विद्युत आपूर्ति बन्द नहीं की जाएगी।
2. जुलूस/शोभायात्रा में निकलने वाले झण्डे, वाहनों पर साउण्ड सिस्टम (DJ) एवं झाँकियों की अधिकतम ऊँचाई 4 मीटर (13 फीट) तक सिमित हो।
3. बसों एंव अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठें एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊँची सामग्री/ ऊँचा झंडा लगा न हो, जिससे जमीन से कुल ऊँचाई 4 मीटर (13 फीट) से ज्यादा न हो।
4. यदि झंडा खड़ा करना हो तो झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तारों/उपकरणों को ध्यान में रखते हुए ही झंडा खड़ा किया जाए। किसी तरह की लापरवाही से कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
5. समितियों द्वारा पर्याप्त संख्या में volunteers की तैनाती रखनी होगी। शोभायात्रा के दौरान समिति के volunteers शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालुओं पर लगातार विशेष निगरानी रखेंगे जिससे किसी के भी लापरवाही/गलती से कोई दुर्घटना न हो।
6. श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों/उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश न करें।
7. विद्युत विभाग द्वारा 24x7 चलने वाले विद्युत नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाएगा, जिससे पर्याप्त संख्या में विद्युत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती रहेगी, जिसकी पूरी सूचना सम्पर्क सूत्र के साथ आयोजक समितियों/जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय प्रमुख अखबारों एवं अन्य माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार किया जाएगा।
8. त्योहार से पूर्व संबंधित मुख्य स्थलों एवं शोभायात्रा/जुलूस से संबंधित मार्गों के विद्युत के पोल, झुले हुए तार, ट्रान्सफार्मर एंव विद्युत के अन्य उपकरणों का विद्युत विभाग द्वारा maintenance करवा लिया जाएगा।
9. सभी आयोजन समितियों को निर्धारीत S.O.P का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्व से ही सूचित करते हुए जागरूक किया जाएगा।
10. प्रमुख स्थलों एवं जुलूस/शोभायात्रा के मार्गो पर पर्याप्त संख्या में विद्युत कर्मियों की तैनाती रखी जाएगी।
11. शोभायात्रा के मार्ग में आ रहे विद्युत ट्रान्सफार्मर एवं अन्य उपकरणों में "Temporary Barricades"/ Warning Sign/Danger board इत्यादि लगाया जाएगा।
12. शोभायात्रा में बड़ी/ऊँची वाहनों का प्रयोग समितियों द्वारा नहीं किया जाएगा।
13. संबंधित शोभायात्रा/जुलूस की आयोजक समितियों के लिए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

सभी नागरिकों, संस्थाओं एवं संगठनों से अपील है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित इस प्रक्रिया का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–
(अभि0 दीपक कुमार),
महाप्रबंधक (डि0 ने0)